न्यायालयः– अपर जिला न्यायाधीश संख्या–01, अनूपगढ़, जिला–श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारीः– **डॉ. मनीष कुमार अग्रवाल, R.J.S.**
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

तलाक याचिका संख्याः– 110/2017
C. I. S. No.:– 109/2017

01. मनोज कुमार पुत्र गंगाराम, निवासी रामदेव मंदिर के पास, वार्ड नं0 17 अनूपगढ, तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर (राज0)

––याची

ब ना म

01. मंजू पत्नी मनोज कुमार पुत्री सीताराम, निवासी वार्ड नं0 39 सरदारशहर, तहसील सरदारशहर जिला चूरू (राज0)

––अयाचिया

तलाक याचिका अन्तर्गत धारा 13 हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955

उपस्थितः–

01. श्री एम आर जांगू, विद्वान अधिवक्ता–याची,
02. श्री सुशील गोदारा, विद्वान अधिवक्ता–अयाचिया,

–:: निर्णय ::– दिनांक –27.03.2026

01. याची मनोज कुमार द्वारा अयाचिया मंजू के विरूद्ध यह तलाक याचिका अन्तर्गत धारा 13 हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के तहत् दिनांक 12.07.2017 को इस न्यायालय के समक्ष पेश करने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर की गई।

02. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि याची मनोज कुमार की ओर से यह तलाक याचिका अयाचिया मंजू के विरूद्ध मुख्यतः इन आधारों पर प्रस्तुत की गई कि याची की शादी अयाचिया के दिनांक 17.11.2010 को अयाचिया के पिता के घर सरदारशहर में सम्पन्न हुई थी। शादी के बाद पहले दिन अयाचिया ने याची के सामने शर्त रखी कि यदि उसके साथ संबंध बनाने है तो उसके पीहर सरदारशहर में एक मकान बनाकर देना होगा और प्रतिमाह बीस हजार रूपये खर्चा देना होगा, तभी वह आपके साथ रहेगी। अयाचिया का कहना था कि उसने यह शादी अपने घरवालों के

दवाब में की है, उसकी मर्जी से यह शादी नहीं हुई है इसलिये वह आपके साथ अनूपगढ नहीं रह सकती। इस बात को लेकर अयाचिया याची से नाराज हो गई और बोलचाल बंद कर दी एवं याची के साथ गाली गलौच करने लगी। शादी के बाद कुछ समय तक तो याची व उसके परिवारजन अयाचिया को समझाते बुझाते रहे लेकिन अयाचिया के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया बल्कि अयाचिया का व्यवहार धीरे धीरे और क्रूरतापूर्ण हो गया तथा याची को धमकी देती कि वह फांसी खाकर मर जायेगी, तुम लोगों को जेल करवा देगी तो अयाचिया के पिता व भाई को समाचार किया। फिर दूसरे दिन अयाचिया का भाई अनूपगढ आया और दिनांक 25.12.2010 को अयाचिया को अपने साथ लेकर चला गया। कुछ समय बाद याची पुनः अपने ससुराल गया और अयाचिया, उसके भाई व पिता को समझाया कि वे अयाचिया को उसके साथ भेज दें तो अयाचिया का भाई व पिता कहने लगे कि उनकी लड़की यहीं सरदारशहर रहेगी, यदि इसे बसाना है तो यहां मकान की व्यवस्था करों अन्यथा आपके साथ नहीं रहेगी। याची ने काफी समझाया परन्तु वे नहीं माने तो याची ने अपने परिवार को बसाने के आशय से 2,97,000/-रूपये नकद अयाचिया के पिता व भाई को दिये, तब उसकी पत्नी को उसके साथ अनूपगढ भेज दिया परन्तु अयाचिया के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया, वह उसे शारीरिक संबंध बनाने नहीं देती, बार बार उसके व उसके परिवारजन के साथ लड़ाई झगड़ा करती। शादी से पूर्व से ही याची यूएई (सारजहां) में काम करता था, उक्त घटना के बाद याची अयाचिया को अनूपगढ छोड़कर सारजहां चला गया। उसके विदेश जाने के बाद उसके पिता ने अयाचिया को समझाया कि आगे पढाई करो फिर उसके पिता ने वर्ष 2012 में माता मोहनीदेवी बेदी कन्या महाविधालय से अयाचीया को बीएड की पढाई करवाई। इसके बावजूद अयाचिया के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। माह नवम्बर 2014 में विदेश से वापिस आकर अपनी पत्नी को लेने सरदारशहर गया तो अयाचिया के माता पिता ने कहा कि आपने मकान के बाकी रूपये नहीं भेजे तो उसने उन्हें समझाया कि 15 लाख रूपयों की व्यवस्था नहीं हो सकती। इसके बाद अयाचिया के माता पिता ने अयाचिया को इस शर्त पर याची के साथ अनूपगढ भेजा कि अगली बार वापिस आये तो पूरे रूपयों की व्यवस्था करके आना अन्यथा दहेज का झूठा मुकदमा दर्ज करवाकर सारे परिवार को जेल करवा देंगे। पुनः अनूपगढ आने के बाद भी अयाचिया के व्यवहार

में कोई बदलाव नहीं आया तथा हर रोज याची व उसके परिवारजन के साथ लड़ाई झगड़ा करती तथा गाली गलौच करती। इसी दौरान अयाचिया गर्भवती हो गई एवं कुछ दिन बाद याची पुनः विदेश चला गया तो अयाचिया अपने भाई के साथ सरदारशहर चली गई एवं अपने पेट में पल रहे बच्चे की सही देखभाल नहीं करने से बच्चे की मृत्यु हो गई। जब याची ने अयाचिया को ओलमा दिया तो कहने लगी कि उसे बच्चा चाहिये ही नहीं था इसलिये उसने गर्भपात की गोलियां खाकर बच्चा गिराया है। इस बात का पता चलने पर जब याची का पिता सरदारशहर गया तो अयाचिया व उसके परिवारजन उसके पिता के साथ झगड़ा करने लगे और कहने लगे कि जब तक उनकी लड़की को सरदारशहर में मकान बनाकर नहीं दोगें, तब तक उनकी लड़की नहीं बसेगी, इस बात से नाराज होकर याची के पिता ने याची व अयाचिया को अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया।

माह मई 2017 में याची विदेश से आया और अयाचिया को फोन किया तो अयाचिया के परिवारवालों ने अयाचिया को याची के साथ भेजने से इंकार कर दिया। इसके बाद 16.05.2017 को अयाचिया स्वयं अनूपगढ आई और याची एवं उसके परिवारजन के साथ झगड़ा किया तथा धमकी देने लगी कि यदि सरदारशहर में मकान लेकर नहीं दोगें तो यहीं मरूंगी तथा तुम लोगों को फंसा दूंगी। दूसरे दिन याची अयाचिया को समझाकर वापिस सरदारशहर लेकर गया, वहां अयाचिया व उसके परिवारवालों ने याची के साथ मारपीट की तथा कहा कि जब मकान के लिये रूपयों की व्यवस्था हो जाये तो आ जाना। इसके बाद अयाचिया व उसके परिवारजनों ने दहेज का झूठा मुकदमा दर्ज करवाने हेतु पुलिस थाना सरदारशहर में प्रार्थना पत्र दिया जिस पर थाना में पंचायत हुई तो पंचायत के सामने अयाचिया ने सरदारशहर में मकान बनाकर देने की शर्त रखी और अयाचिया को याची के साथ भेजने से इंकार कर दिया। अयाचिया द्वारा पिछले सात वर्षों से याची व उसके परिवारजन के साथ अभद्र व्यवहार व ज्यादा क्रूरता व गाली गलौच की है जिस कारण याची का जीना दुर्भर हो गया है। अयाचिया के इस क्रूरतापूर्ण व्यवहार के कारण याची का उसके साथ आगे जीवन यापन असंभव हो गया है इसलिये याची के पास अयाचिया से तलाक की डिक्री प्राप्त करने के अलावा अन्य कोई उपचार नहीं है। याचिका बिना किसी दुर्भिसंधि के पेश है। अंत में याचिका न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार, अंदर मियाद एवं पूर्ण कोर्ट

फीस पर होना अभिकथित करते हुए याची व अयाचिया के मध्य दिनांक 17.11.2010 को सम्पन्न हुए विवाह को तलाक की डिक्री पारित कर विघटित किये जाने का निवेदन किया गया।

03. उक्त याचिका प्रस्तुत करने पर अयाचिया को जरिए नोटिस तलब किया गया जिस पर अयाचिया की ओर से जवाब याचिका पेश हुई जिसमें अभिकथन किये गये कि याची ने अयाचिया पर जो आरोप लगाये हैं, वह मिथ्या है। अयाचिया को याची एवं उसके माता पिता शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे तथा अयाचिया को भूखा कमरे में बंद करके यातनाएं देते थे। अयाचिया ने सरदारशहर में मकान की कोई मांग नहीं की, समस्त तथ्य झूठे एवं मनगढंत अंकित किये हैं। सत्यता यह है कि याची व उसके परिवार के सदस्यों द्वारा अयाचिया को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर एवं मारपीट कर घर से निकाल दिया गया। शादी विदेश में नौकरी करना बताकर की गई थी तथा यह आश्वासन दिया गया था कि याची अयाचिया को साथ लेकर जायेगा परन्तु धोखे से याची अकेला विदेश चला गया। अयाचिया के पति के विदेश में रहते हुए सास ससुर ने अपने घर अयाचिया को नौकरानी की तरह काम करवाने की गर्ज से बी एड में भी सरकारी कॉलेज में एडमिशन नहीं लेने दिया और मजबूर किया कि अयाचिया अनूपगढ में ही प्राईवेट कॉलेज में पढे तथा उनकी सेवा करें जिस कारण अयाचिया को शारीरिक एवं मानसिक कष्ट झेलना पड़ा। अयाचिया के भाई ने याची के माता पिता व भाई के साथ कभी लड़ाई झगड़ा नहीं किया, ना ही गाली गलौच किया और ना ही कोई धमकी दी। याची ने ना तो अयाचिया को सरदारशहर में कोई रूपये दिये, ना ही अयाचिया ने याची पर सरदारशहर में मकान बनाने पर दवाब बनाया और ना ही मकान के लिये कभी 15 लाख रूपये की मांग की गई, महज दहेज प्रताड़ना के मुकदमा से बचने के लिये मनगढंत कहानी बनाई गई है। अयाचिया आज भी याची के साथ अनूपगढ में सकुशल बसकर अपना पत्नी धर्म का पालन करने के लिये तैयार है जबकि याची जानबूझ कर अयाचिया का परित्याग करना चाहता है। याची व उसके परिवारजनों द्वारा अयाचिया को दहेज की अनुचित मांग को लेकर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया जिस पर अयाचिया ने पुलिस थाना सरदारशहर में याची एवं उसके परिवारजनों के विरूद्व एफआईआर संख्या 277/2017 दर्ज करवाई जिसमें बाद अनुसंधान याची व उसके पिता को

पुलिस ने गिरफतार किया और अपर मुख्य न्यायिक मजि. सरदारशहर में आरोप पत्र प्रस्तुत किया जो मुकदमा सं0 1288/2018 विचाराधीन है। अतिरिक्त कथन में अंकित किया कि याची एवं उसके परिवार के सदस्यों ने निरन्तर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ना दी गई जिस वजह से अयाचिया का गर्भपात हो गया तथा याची ने बिना किसी युक्तियुक्त कारण के अयाचिका का परित्याग कर रखा है और बसाने से इंकार किया है, ऐसी स्थिति में याची कतई सद्भाविक नहीं है। याची अपने स्वयं के दोष व अपने द्वारा की गई क्रूरता के आधार पर किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का विधिक अधिकारी नहीं है। अंत में याची की याचिका अस्वीकार कर मय खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन किया।

04. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर न्यायालय द्वारा निम्न विवाधकों की विरचना की गई–

1. आया याची मनोज कुमार दिनांक 17.11.2010 को अयाचिया मंजू के साथ हुए विवाह को याचिका में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर अयाचिया मंजू द्वारा याची के साथ की गई शारीरिक एवं मानसिक क्रूरता के कारण, विवाह विच्छेद की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है ?

2. अनुतोष ?

05. याची की ओर से अपनी याचिका के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में ए.डब्ल्यू. 01 मनोज कुमार (स्वयं याची), ए.डब्ल्यू. 02 गंगाराम, ए.डब्ल्यू. 03 सीताराम, ए.डब्ल्यू. 04 कृष्ण गोदारा, ए.डब्ल्यू. 05 पोकरमल व ए.डब्ल्यू. 06 गिरधारीलाल के बयान लेखबद्ध करवाये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–01 परिवार राशन कार्ड (चित्रप्रति प्रदर्श 1 ए) पेश कर प्रदर्शित करवाया गया।

06. अयाचिया की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद साक्ष्य पेश नहीं करने पर न्यायालय द्वारा साक्ष्य अयाचिया का अवसर बंद किया गया।

07. बहस अंतिम उभय पक्ष सुनी गई । विद्वान अधिवक्ता याची की ओर से बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया गया कि याची ने अपनी साक्ष्य से यह साबित किया है कि अयाचिया ने याची एवं उसके परिवारजनों के साथ शादी के बाद क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया तथा बिना किसी युक्तियुक्त कारण के याची का अभित्याग कर अपने माता पिता

के पास पीहर में रह रही है। अंत में याची द्वारा प्रस्तुत याचिका स्वीकार कर याचिका में याचित अनुतोष प्रदान किए जाने का निवेदन किया गया।

इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अयाचिया का बहस के दौरान तर्क रहा है कि अयाचिया द्वारा याची एवं उसके परिवारजनों के साथ किसी प्रकार का शारीरिक एवं मानसिक क्रूरतापूर्ण व्यवहार नहीं किया गया बल्कि याची एवं उसके परिवार वालों ने अयाचिया के साथ दहेज की मांग कर क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया तथा दहेज की मांग को लेकर मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया जिस संबंध में अयाचिया द्वारा याची एवं उसके परिवाजनों के खिलाफ पुलिस थाना सरदारशहर में दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज करवाया गया जिसमें बाद अनुसंधान पुलिस ने याची एवं उसके पिता के खिलाफ आरोप पत्र सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया जो विचाराधीन है। अंत में याची द्वारा याचिका में चाहा गया याचित अनुतोष अस्वीकार कर याची की याचिका खारिज किए जाने का निवेदन किया गया।

08. उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया एवं संबंधित विधि का अध्ययन किया गया। न्यायालय का विवाधकों के संबंध में विवेचन निम्न प्रकार से हैः–

<u>विवाद्यक संख्या–01</u>

1. आया याची मनोज कुमार दिनांक 17.11.2010 को अयाचिया मंजू के साथ हुए विवाह को याचिका में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर अयाचिया मंजू द्वारा याची के साथ की गई शारीरिक एवं मानसिक क्रूरता के कारण, विवाह विच्छेद की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है ?

09. उक्त विवाद्यक को साबित करने का भार याची पर है। इस संबंध में याची मनोज कुमार द्वारा मौखिक साक्ष्य में कुल 06 साक्षीगण को परीक्षित करवाया गया है तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–01 दस्तावेज पेश कर प्रदर्शित करवाया है। याची ए.डब्ल्यू. 01 मनोज कुमार द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र में अपनी याचिका के तथ्यों की ही पुष्टि करते हुए मुखयतः कथन करता है कि याची की शादी अयाचिया के साथ दिनांक 17.11.2010 को अयाचिया के पिता के घर सरदारशहर में हिन्दू रिति रिवाज से संपन्न हुई थी। शादी के बाद पहले दिन ही जब अयाचिया बतौर पत्नी याची के घर आई तो उसी दिन अयाचिया ने याची के सामने यह शर्त

रखी कि यदि उसे उसके साथ संबंध बनाने है तो उसे उसके पीहर सरदारशहर में मकान बनाकर देना होगा और प्रतिमाह उसे बीस हजार रूपये खर्चा भी देना होगा, तभी वह उसके साथ रहेगी तथा अयाचिया ने याची को यह कहा कि उसने शादी अपने घरवालों के दवाब में की है, उसकी मर्जी से शादी नहीं हुई है, वह आपके साथ अनूपगढ में नहीं रह सकती। अयाचिया पहले दिन से ही उसे नाराज हो गई तथा याची व उसके परिजनों के साथ गाली गलौच व अभद्र व्यवहार करने लगी। अयाचिया याची पर सरदारशहर में मकान बनाने के लिये रूपये देने का दवाब बनाती तथा याची द्वारा मना करने पर याची एवं उसके परिजनों के साथ गाली गलौच करती तथा झूठे मुकदमा में फंसाने की धमकी देती। याची ने अयाचिया को बसाने के लिये 2,97,000/–रूपये नकद अयाचिया, उसके पिता व भाई को दिये , तब एक बार तो अयाचिया को याची के साथ अनूपगढ भेज दिया परन्तु अयाचिया के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया और अयाचिया याची को शारीरिक संबंध नहीं बनाने देती और बार बार याची एवं परिवारजनों के साथ लड़ाई झगड़ा करती। अयाचिया के गर्भ में जो बच्चा पल रहा था, वह अयाचिया द्वारा सही देखभाल नहीं करने से पेट में मर गया जिसका ओलमा देने पर अयाचिया ने याची को कहा कि उसे बच्चा चाहिये ही नहीं था, उसने गर्भपात की गोलियां लेकर बच्चा गिराया है। अयाचिया एवं उसके परिजनों ने उस पर झूठा दहेज का मुकदमा दर्ज करवाने बाबत सरदारशहर में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर थाना में पंचायत हुई तो पंचायत के सामने भी अयाचिया व उसके परिवार वालों ने सरदारशहर में ही मकान बनाने की शर्त रखी तथा अयाचिया को याची के साथ भेजने से इंकार कर दिया। अयाचिया ने पिछले सात वर्षों से अधिक समय से याची का परित्याग कर रखा है तथा अयाचिया ने निर्मल पुत्र मोहनलाल के साथ दूसरी शादी कर ली है। प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कथन किया कि वह अपनी पत्नी को एक साल में केवल एक महिने का समय दे सकता है, ये बात उसने अपने सास–ससुर को बता दी थी। वह शादी से पहले ससुराल गया था, वहां उसने यह बात बताई थी। उसके पश्चात उनका पूरा कुटुम्ब आया, तब उसने यह बात दोहराई थी। साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया कि वह शादी करके विदेश चला गया और उसकी पत्नी को परिवार वाले नौकरानी की तरह पशुओं की देखभाल करने के लिये रखते थे।

---

10. याची की ओर से परीक्षित साक्षी ए.डब्ल्यू. 02 गंगाराम याची का पिता है, जो अपनी मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र में याचिका में वर्णित तथ्यों एवं याची मनोज कुमार के बयानों की पुष्टि करते हुए याची की शादी अयाचिया के साथ दिनांक 17.11.2010 को संपन्न होना, शादी के बाद पहले दिन ही अयाचिया द्वारा सरदारशहर में मकान बनाकर देने की बात को लेकर मनोज के साथ झगड़ा करना, अयाचिया का व्यवहार धीरे धीरे क्रूरतापूर्ण होना, फांसी लगाकर मरने की धमकी देना, सरदारशहर में मकान बनाने हेतु याची द्वारा 2,70,000/–रूपये देना, इसके बावजूद अयाचिया के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आना, दिनांक 16.05.2017 को अयाचिया द्वारा अनूपगढ आकर मकान के लिये रूपयों की मांग करना, अयाचिया द्वारा अपने खिलाफ झूठा दहेज का मुकदमा करवाने बाबत सरदारशहर में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना जहां थाना में पंचायत होना, पंचायत के सामने भी अयाचिया व उसके परिवार वालों द्वारा सरदारशहर में मकान बनाने की शर्त रखना तथा अयाचिया को भेजने से स्पष्ट इंकार करने बाबत स्पष्ट कथन करता है। प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कथन किया कि मनोज शादी से पहले ही विदेश गया हुआ था। मंजू शादी के बाद लगभग 6 साल तक उनके पास रही थी। उन्होंने मंजू को यहां पर अलग मकान बनाकर दिया था कि दोनों अपना जीवनयापन करें। साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया कि मंजू से वह और उसकी पत्नी घर का काम व पशुओं का काम करवाना चाहते हो इसलिये उन्होंने मंजू की मनोज से शादी की हो। साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया कि वह व उसकी पत्नी मंजू से अपनी व पशुओं की सेवा करवाते हों और मनोज यहां नहीं रहने के कारण उसे तंग परेशान करते हो, इससे परेशान होकर वह अपने पीहर चली गई हो।

11. याची की ओर से परीक्षित साक्षी ए.डब्ल्यू. 03 सीताराम, ए.डब्ल्यू. 04 कृष्ण गोदारा ने अपने अपने मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र में याची मनोज कुमार की शादी अयाचिया मंजू के साथ होना, मनोज कुमार की पत्नी द्वारा सरदारशहर थाना में मनोज कुमार, गंगाराम आदि के विरूद्ध प्रार्थना पत्र पेश करना, स्वयं का मनोज व गंगाराम के साथ पंचायत में सरदारशहर थाने में जाना, मनोज कुमार का अपनी पत्नी को बसाने के लिये तैयार होना परन्तु उसकी पत्नी मंजू, उसके माता पिता व भाई द्वारा मंजू को मनोज कुमार के साथ भेजने से इंकार करने बाबत

अपनी साक्ष्य में स्पष्ट कथन किये हैं।

12. याची की ओर से परीक्षित साक्षी ए.डब्ल्यू. 05 पोकरराम व ए.डब्ल्यू. 06 गिरधारीलाल ने अपने अपने मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र में मंजू पुत्री सीताराम निवासी सरदारशहर को जानना, मंजू की शादी अपने गांव के व्यक्ति निर्मल पुत्र मोहनलाल के साथ दिनांक 14.02.2024 को होना, शादी में स्वयं का भी जाना, मंजू का आज भी निर्मल के साथ बतौर पत्नी अपने गांव में रहना, आज से करीब तीन चार माह पूर्व मंजू की प्रथम शादी मनोज कुमार पुत्र गंगाराम निवासी अनूपगढ के साथ होने की जानकारी होने बाबत अपनी साक्ष्य में स्पष्ट कथन किये हैं।

13. इस प्रकार पत्रावली पर आई समस्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि प्रकरण में यह स्वीकृत स्थिति है कि याची मनोज कुमार व अयाचिया मंजू विवाहित पति पत्नी है जिनका विवाह दिनांक 17.11.2010 को अनुष्ठापित हुआ था। याची मनोज कुमार ए डब्ल्यू 1 व याची के पिता गंगाराम ए डब्ल्यू 2 ने अपनी साक्ष्य में अयाचिया द्वारा याची के साथ संबंध बनाने से इंकार करने, फांसी खाकर मर जाने तथा याची व उसके परिवारजनों को जेल भिजवाने की धमकी देने, अयाचिया द्वारा अपने पीहर में मकान की व्यवस्था करने व रूपयों की मांग करने, गर्भावस्था के दौरान सही देखभाल नहीं करने से गर्भपात हो जाने, याची व उसके परिवारजनों के साथ गाली गलौच, लड़ाई झगड़ा कर क्रूरतापूर्ण व्यवहार किये जाने के स्पष्ट कथन किये हैं। उक्त साक्षीगण से अयाचिया की ओर से विस्तृत प्रतिपरीक्षा की गई है किन्तु उक्त साक्षीगण की प्रतिपरीक्षा में ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं हुआ है जिससे इनके मुख्य परीक्षा में किये गये कथनों का खंडन होता हो। उक्त साक्षीगण ने अपनी साक्ष्य में यह भी कथन किया है कि अयाचिया द्वारा सरदारशहर पुलिस थाना में प्रार्थना पत्र पेश करने पर पंचायत हुई थी जिसमें सीताराम व कृष्ण उपस्थित थे। उक्त साक्षीगण ए डब्ल्यू 3 सीताराम व ए डब्ल्यू 4 कृष्ण गोदारा ने अपनी साक्ष्य में यह कथन किया है कि दिनांक 17.11.2010 को याची मनोज कुमार एवं अयाचिया मंजू की शादी बिना किसी दान दहेज के सम्पन्न हुई थी। मंजू द्वारा सरदारशहर थाना में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर थाने वालों ने उनकी पंचायत करवाई थी जिसमें मंजू और उसके परिवारजनों ने मंजू को मनोज कुमार के

साथ भेजने से मना कर दिया और सरदारशहर में मकान बनाकर देने अन्यथा दहेज मांगने का मुकदमा करवाने की धमकी दी गई। उक्त साक्षीगण दौराने प्रतिपरीक्षा अपने मुख्य परीक्षा में किये गये कथनों पर स्थिर रहे हैं। ए डब्ल्यू 1 मनोज कुमार व ए डब्ल्यू 2 गंगाराम ने अपनी साक्ष्य में यह भी कथन किया है कि अयाचिया मंजू ने सात वर्ष से अधिक समय से मनोज कुमार का परित्याग कर रखा है और निर्मल पुत्र मोहनलाल के साथ दूसरी शादी कर ली है और उसी के साथ निवास कर रही है। उक्त कथनों की पुष्टि करते हुए ए डब्ल्यू 5 पोकरमल व ए डब्ल्यू 6 गिरधारीलाल ने भी अपनी साक्ष्य में अयाचिया मंजू की शादी उनके गांव के व्यक्ति निर्मल के साथ दिनांक 14.02.2024 को होना, स्वयं का शादी में जाना, शादी के बाद मंजू का निर्मल के साथ बतौर पत्नी निवास करने का कथन करते हैं।

14. यद्धपि अयाचिया मंजू ने अपने अभिवचनों में यह कथन किया है कि दहेज की मांग को लेकर याची व उसके परिवारजन उसको तंग परेशान कर क्रूरता करते थे तथा उसे घर से निकाल दिया था परन्तु अपने अभिवचनों के समर्थन में कोई साक्ष्य अयाचिया की ओर से प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे अभिवचनों में वर्णित तथ्यों की पुष्टि नहीं हुई है। इसके साथ ही अयाचिया की ओर से ए डब्ल्यू 1 मनोज कुमार व ए डब्ल्यू 2 गंगाराम को दौराने प्रतिपरीक्षा अयाचिया मंजू से दहेज मांगने व दहेज के लिये उसे तंग परेशान करने के संबंध में न तो कोई सुझाव दिया गया है और ना ही कोई प्रश्न ही किया गया है। यदि याची मनोज कुमार अथवा उसके परिवारजनों द्वारा दहेज की मांग को लेकर अयाचिया मंजू को तंग परेशान किये जाने के संबंध में उक्त साक्षीगण से कोई प्रश्न किया जाता या सुझाव दिया जाता तो वे उक्त तथ्य की सत्यता के संबंध में अपना स्पष्टीकरण अवश्य देते। अयाचिया ने अपने अभिवचन में यह कथन किया है कि उसके द्वारा दर्ज करवाए गए मुकदमे में याची एवं उसके पिता को दहेज प्रताड़ना का दोषी माना गया था परन्तु इस संबंध में भी अयाचिया द्वारा कोई मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई है। पत्रावली पर उपलब्ध याची की साक्ष्य का खण्डन नहीं हो पाया है तथा खण्डन के अभाव में याची एवं उसकी तरफ से आयी साक्ष्य अखण्डनीय रही है। पत्रावली पर ऐसा भी कोई तथ्य सामने नहीं आया है, जिससे कि पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार की दुरभिसंधि होना प्रकट होता हो। याची की उपर्युक्त अखण्डित साक्ष्य से अयाचिया द्वारा याची से क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया

जाना साबित है। अतः विवाद्यक संख्या 1 याची के पक्ष में एवं अयाचिया के विरूद्व निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या–02

2. अनुतोष ?

15. चूंकि विवाद्यक संख्या 1 याची के पक्ष में एवं अयाचिया के विरूद्व निर्णित हुआ है। फलस्वरूप याची द्वारा अयाचिया के विरूद्ध प्रस्तुत यह याचिका स्वीकार किए जाने योग्य है।

- :: आ दे श :: -

16. अतः याची मनोज कुमार द्वारा प्रस्तुत याचिका अन्तर्गत धारा 13 हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 विरूद्ध अयाचिया मंजू **स्वीकार** की जाकर याची मनोज कुमार का अयाचिया मंजू के साथ दिनांक 17.11.2010 को अनुष्ठापित हुए विवाह को आज दिनांक **27.03.2026** को **विवाह विच्छेद** की **डिक्री** द्वारा **विच्छेद (विघटित)** किया जाता है। खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करेंगे। नियमानुसार डिक्री पर्चा बनाई जावे।

(डॉ. मनीष कुमार अग्रवाल)
अपर जिला न्यायाधीश, संख्या–01
अनूपगढ़, जिला–श्रीगंगानगर

17. आदेश आज दिनांक 27.03.2026 को विवृत्त न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. मनीष कुमार अग्रवाल)
अपर जिला न्यायाधीश, संख्या–01
अनूपगढ़, जिला–श्रीगंगानगर